



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-599

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 311480 दिनांक 03/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sanjita Vijayvargiya W/o Rajesh Vijayvargiya	भगवान सहाय पुत्र मन्ना एवं भूली देवी बेवा मन्ना	9/AI/169	1250.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block-A	Name Transfer	जविप्रा की योजना रिंग रोड के भूखण्ड संख्या 9/एआई/169 क्षेत्रफल 1250 व.मी. की लीजडीड दिनांक 10.01.2012 को भगवान सहाय पुत्र मन्ना एवं भूली देवी बेवा मन्ना के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2012 को भगवान सहाय पुत्र मन्ना एवं भूली देवी बेवा मन्ना द्वारा प्रभाती देवी पत्नी बट्टी मीना, नींबू देवी पत्नी नन्दसिंह एवं सीमला देवी पत्नी रामकरण को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								विक्रय पत्र दिनांक 15.04.2013 को प्रभाती देवी पत्नी बद्री मीना, नींबू देवी पत्नी नन्दसिंह एवं सीमला देवी पत्नी रामकरण द्वारा संगीता विजयवर्गीय पत्नी राजेश विजयवर्गीय को कर दिया गया। आवेदिका द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड की मूल पत्रावली जोन कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार प्राप्त नहीं हो पा रही है जिसकी तलाश जारी है। सीपीआरएमएस पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार दिनांक 10.01.2012 को भगवान सहाय पुत्र मन्ना एवं भूली देवी बेवा मन्ना के नाम से लीजडीड जारी होना दर्ज है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Sanjita Vijayvargiya W/o Rajesh Vijayvargiya को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।